Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

No.F(अपील-68)VCS/RAJUVAS/RTI/2014/293 Dated: 8-7-2015

रजिस्टर्ड - पत्र

श्री पंचम कुमार शर्मा,
वी.पी.ओ. कादमा वाया बाढड़ा,
जिला भिवानी हरियाणा– 127308
मो. 09813199518

विषयः–अपील सं. 68/2015 श्री पंचम कुमार शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कुलपति एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 27.05.2015 की प्रति सलंग्न कर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है।

सलंग्नः– निर्णय प्रति।

Sd/-
निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को निर्णय दिनांक 27.05.2015 की प्रति पालनार्थ/सूचनार्थ प्रेषित है।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, ए.जी.बी., पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को निर्णय प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निर्णय विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर जारी करने का कष्ट करावें।

निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATI

Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 68/2015

श्री पंचम कुमार शर्मा ....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर .... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी–श्री पंचम कुमार (अनुपस्थित)

(2) उत्तरदाता–डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर। (उपस्थित)

(i) अपील प्रस्तुती : 28.04.2015
(ii) अपील ग्राह्यता : 28.04.2015
(iii) निर्णय दिनांक : 27.05.2015

निर्णय

अपीलार्थी श्री पंचम कुमार शर्मा द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 09.03.2015 को प्रार्थना–पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचनाएं उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। अपील प्रार्थना–पत्र में अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा न तो उसे कोई सूचना उपलब्ध करवायी गयी न ही उसे कोई भी प्रत्युत्तर दिया। इसके विपरीत डॉ. राकेश राव, लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2015 विश्वविद्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है इस कारण अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो सकी।

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचनाएं नहीं उपलब्ध करवायी गयी न ही उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। विधायिका द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर नागारिकों को जानने का बहुमूल्य अधिकार (Right to Know) दिया है। लोक प्राधिकारीगण न केवल सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना हेतु बाध्य है अपितु मेरे मत में उन्हे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना का भी सम्मान करना चाहिए।

contd-

मेरे समक्ष प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा इसलिए कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना–पत्र ही लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त नहीं हो सका। अतः लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2015 की प्रति प्रेषित कर न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि निर्णय की प्रति प्राप्ति के 30 दिवस में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2015 का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर अपीलार्थी को सूचित करें तथा यदि कोई सूचना उपलब्ध करवायी जानी हो तो निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। उभय पक्षों को निर्णय प्रति पालना प्रेषित की जावे।

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER